


तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज	नम्बर या इस हुक्म
27-01-23	<p>पत्रावली दिनांक 26.01.2023 को अवकाश होने से पत्रावली आज पेश हुई। प्राधी वकील उपस्थित। विप्राधी अनुपस्थित। पत्रावली वाले बहस आई 10-3-2023 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बाड़मेर)</p>	
10-3-23	<p>पत्रावली आज पेश हुई। बार एशोसिएशन द्वारा रेफरेंस रखा गया है। अतः इस्तफा होकर पत्रावली आई 31-3-23 को पेश हो।</p>	
31-03-2023	<p>पत्रावली पेश हुई। प्राधी वकील उपस्थित। बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। धारा 254 A RTACT के तहत किसी कार्रगार को अपने आवेदारी खेत से कटाण मारी तक आवगमन हेतु कोई शस्त्रा उपलब्ध नहीं होने एवं उसके द्वारा चला गया शस्त्रा आवगमन का इकलौता विकल्प होने की स्थिति में ही शस्त्रा स्वीकृत किए जाने का प्रावधान है किन्तु तहसीलदार द्वारा प्रेषित एवं IIR थापन द्वारा तैयार मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्राधी के मौजा पादरही कल्लां अणस्थित खेत खसरा 106 से लगाता हुआ एन स. 88 राजकीय कटाण शस्त्रा बन्दोबस्त पूर्व से लगातार चल रहा है। ऐसी सूत्र में प्राधी को नया शस्त्रा दिलाये जाने का कोई औचित्य नहीं है। लिहाजा प्राधी का आवेदन औचित्यहीन होने से खारिज किया जाता है। आदेश सरे इजलास सुनया गया। पत्रावली फैंसल शुमार होकर अखिल स्फर हो।</p>	

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)